

## हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

प्रेषक:-

सचिव  
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,  
भिवानी ।

सेवा में  
प्राचार्य/मुख्याध्यापक/मुख्याध्यक्षिका  
Pragya Sr. Sec. School  
Bhandwa (Bhiwani)

क्रमांक 2579 /Bh./ .. /Aff/2007-08

दिनांक:- 19/12/07

महोदय/महोदया

आपकी संस्था को कक्षा <sup>10</sup> तक शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्थायी मान्यता के आधार पर स्थायी रूप से सम्बद्धता इस बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही पढ़ाई जायें ।
- 2- संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपने स्कूल का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवाएंगी । बोर्ड द्वारा उन्हें भवन/फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा ।
- 3- बोर्ड द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय-समय पर जारी किये जाते हैं, संस्था उनकी दृढ़ता से पालन करेगी ।
- 4- संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी जिससे नकल/प्रतिरूपण मामलों एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके ।
- 5- संस्था बोर्ड द्वारा संचालित मुक्त विद्यालय परीक्षा एवं इससे सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को संचालित करने में पूर्ण सहयोग देगी ।
- 6- संस्था द्वारा हरियाणा ऐजुकेशन कोड की धारा 222 को सं 1 से 19 के अनुसार सभी प्रकार का रिकार्ड एवं रजिस्टर तैयार करने की पालना की जाये ।
- 7- संस्था में कार्यरत स्टाफ की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हो ।
- 8- परीक्षार्थियों का विद्यालय में बैठने के लिए समुचित प्रबन्ध करना होगा ।
- 9- संस्था में पढ़ाए जाने वाले विज्ञान विषयों के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरणों का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित विज्ञान की प्रायोगिक पुस्तिका ही विद्यार्थियों को लगवाई जाए ।
- 10- बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने के पश्चात कभी भी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय भी आप की संस्था पर लागू होंगे तथा आपकी संस्था द्वारा इनकी पालना की जायेगी ।

यदि किसी समय यह पाया गया कि प्रबन्धक/विद्यालय/महाविद्यालय सम्बद्धता सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सम्बद्धता वापिस ले ली जायेगी ।

भवदीय

साहायक सचिव (सम्बद्धता)  
कृते: सचिव

  
PRINCIPAL

Pragya Sr. Sec. School  
Bhandwa (Ch. Dadri)



Manager  
Pragya Sr. Sec. School  
Bhandwa (Ch. Dadri)